66 वीं बोर्ड बैठक
दिनांक - 25-11-2002
का
कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 25-11-2002 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 66वीं बैठक दिनॉक 25-11-2002 को मेरठ विकास प्राधिकरण के सभागार में अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में अपरान्ह 3-00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम सचिव द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थें :-

1. श्री एन0एस0रवि — अध्यक्ष
   आयुक्त
   मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. श्री प्रभात मित्तल — उपाध्यक्ष
   उपाध्यक्ष
   विकास प्राधिकरण, मेरठ।
3. श्री रमारमण — सदस्य
   जिलाधिकारी, मेरठ।
4. श्री विशन सिंह — सदस्य
   अपर निदेशक (उद्योग), मेरठ।
5. श्री अनिल राज कुमार — सदस्य
   मुख्य नगर अधिकारी
   नगर निगम, मेरठ।
6. श्री राजपाल कौशिक — सदस्य
   सहयुक्त नियोजक
   (प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
   उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ)
7. श्री अतुल कुमार सिंह — सदस्य
   संयुक्त निदेशक
   कोषागार एवं पेंशन, मेरठ।
   (प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0शासन, लखनऊ)
8. श्री आर0एल0गोयल — सदस्य
   अधीक्षण अभियन्ता
   जलनिगम, मेरठ।
   (प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, जलनिगम,उ0प्र0शासन)
   लखनऊ।

9. श्री राजकुमार सिंह सदस्य
सभासद, नगर निगम, मेरठ।

10. श्री मंगलसैन सदस्य
सभासद, नगर निगम, मेरठ।

11. श्री मौह0 जाहिद अन्सारी सदस्य
सभासद, नगर निगम, मेरठ।

12. श्री मौहम्मद अब्बास सदस्य
सभासद, नगर निगम, मेरठ।

13. श्री अभय कुमार बाजपेई संयोजक
सचिव, विकास प्राधिकरण, मेरठ।

मद संख्या – 1

प्राधिकरण की 65वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 19-6-2002 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 65वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 19-6-2002 के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

मद संख्या -2

प्राधिकरण की 64वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 15-3-2002 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

64वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 15-3-2002 के मद संख्या-2 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया। श्री मंगलसैन, सभासद/सदस्य प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत कार्य योजना में दो गॉवों नगलाताशी कासिमपुर एवं दॉतल को सम्मिलित नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इन गॉवों को भी कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाये तथा मौके पर आवश्यकता के अनुसार ही वास्तविक कार्य ही शामिल किये जाये। डूडा, नगर निगम के साथ संसाधनों का डवटेलिंग करते हुए कार्यो का सम्पादन कराया जाये। जिन ग्रामों के काश्तकार प्राधिकरण की योजना के कार्यान्वयन में सहयोग दे रहे हैं, उन ग्रामों के कार्यो के कार्यान्वयन में वरीयता प्रदान की जाये।

मद संख्या -3 के अनुपालन पर बारातघरों के प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि बारातघरों के शमन हेतु अब तक जितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए है, उनके सम्बन्ध में

सम्बन्धित समिति की बैठक करके 10 दिन में शमन की कार्यवाही पूर्ण की जाय जिन मामलों में शमन नहीं किया जा सकता है उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। ऐसे बारातघर/विवाह मण्डप जो आवास विकास परिषद अथवा कैन्ट बोर्ड के क्षेत्रान्तर्गत आते है उनक सम्बन्ध में परिषद व कैन्ट बोर्ड को प्राधिकरण बोर्ड की भावना से अवगत कराते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाये।

प्रस्तुत अनुपालन आख्या में अंकित औद्योगिक आस्थानों के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र अंकित किया जाये। अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि 69 कालोनियों में से 8 कालोनियों के नियमितीकरण हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा इनमें से 4 के द्वारा अपने मानचित्र प्रस्तुत किये गये। हरवंश बिहार तथा जनकपुरी कालोनियों को नियमित किया जा चुका है तथा दो अन्य कालोनी प्राधिकरण तथा आवास विकास परिषद के अर्जन से प्रभावित होने के कारण नियमित नहीं की जा सकी हैं। यह भी बताया गया कि हुमायूँ नगर के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं की जा सकी थी। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के द्वारा अनाधिकृत कालोनियों का गहन सर्वेक्षण करते हुए रिडवलपमेन्ट/एक्शन प्लान तैयार कराया जाये तथा इस रिडवलपमेन्ट/एक्शन प्लान के आधार पर सम्बन्धित कालोनीवासियों को प्रेरित करके नियमितीकरण के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाये। यह भी निश्चय हुआ कि प्रत्येक माह में 10 अनाधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण करके रिडवलपमेन्ट/एक्शन प्लान प्राधिकरण के द्वारा तैयार कराया जायेगा। अनाधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें अन्य सदस्य उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, उप आवास आयुक्त/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0आवास विकास परिषद तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होगें। यह भी निश्चय हुआ कि इस सम्बन्ध दो माह बाद एक विशेष बैठक आयोजित करके प्रगति की समीक्षा की जाये।

अनुपालन मद संख्या -3 (बैठक दिनॉक 19-6-2002)

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। सोडियम लाईट लगाये जाने हेतु निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सभासद के क्षेत्र में दो-दो सोडियम लाईट लगायी जायेंगी, शेष सोडियम लाईट लगाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इस समिति के अन्य सदस्य मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, श्री राजकुमार सिंह, श्री मंगल सैन, श्री मौहम्मद जाहिद अन्सारी एवं श्री मौहम्मद अब्बास, सभासद, नगर निगम, मेरठ होंगे।

मद संख्या – 3

सबसीडियरी इन्टेलीजैन्स ब्यूरो, गृह मन्त्रालय (भारत सरकार) 119 डी, साकेत, मेरठ के पक्ष में प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना के पाकेट सी से लगी हुई 3600 वर्गमीटर आबंटित भूमि के दण्ड ब्याज के मुक्ति हेतु प्रस्ताव।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या – 4

गंगानगर योजना के पाकेट "एन" में दधिचि शिक्षा प्रचार समिति को निविदा के आधार पर आबंटित "शैक्षिक" भूखण्ड पर हाईटेंशन लाईन स्थित होने के कारण उक्त पाकेट का पुर्ननियोजन करते हुए वैकल्पिक भूखण्ड के आबंटन के सम्बन्ध में।

मुख्य नगर नियोजक द्वारा बोर्ड को अवगत कराया कराया कि गंगानगर योजना के ले-आँउट प्लान में उक्त भूखण्ड के अतिरिक्त सामुदायिक सुविधायें एवं व्यवसायिक केन्द्र/हैल्थ सेन्टर आदि के लिये भूमि आरक्षित की गयी है। क्योंकि प्रशनगत शैक्षिक भूखण्ड पर हाईटेंशन लाईन थी अतः संस्था के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए इस पाकेट का पुर्ननियोजन किया गया है। पुर्ननियोजन के अनुसार हायर सैकेन्ड्री स्कूल के शैक्षिक भूखण्ड एवं व्यवसायिक केन्द्र को 36 मीटर चौड़े मुख्य मार्ग पर प्रस्तावित करते हुए सामुदायिक सुविधाओं व हैल्थ सेन्टर व प्राईमरी स्कूल आदि के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार प्राविधान किया गया है। विचार विमर्श के उपरान्त यह तय हुआ कि जिस स्थल पर मुख्य नगर नियोजक के द्वारा शैक्षिक भूखण्ड दर्शाया गया है उक्त स्थल का प्रयोग व्यवसायिक के रुप में किये जाने पर प्राधिकरण को अच्छी आय हो सकती है तथा यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्ड या तो पुराने स्थल पर ही रखते हुए हाईटेंशन लाईन को हटाये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही कार्यवाही की जाये या इस भूखण्ड को दर्शाये गये स्थल से हटाकर पुर्ननियोजित किया जाये।

मद संख्या – 5

मेरठ स्टेडियम क्लब को रक्षापुरम आवासीय योजना में आबंटित भूमि के समीप "कम्युनिटि फेसिलिटीज" हेतु आरक्षित भूमि को मेरठ क्लब को आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त के सम्बन्ध में विचार विमर्श के उपरान्त यह तय हुआ कि आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकरण की अनुमति के उपरान्त मेरठ स्टेडियम क्लब द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग समय-समय पर किया जा सकता है।

मद संख्या – 6

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को डा0 राम मनोहर लोहिया नगर योजना में पाकेट–ए, बी, सी व डी में कुल 100.00 एकड बल्क आवासीय भूमि विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

मद संख्या – 7

डा0 अशोक कुमार शर्मा, उपनिदेशक (प्रैस) मुख्य मन्त्री, उ0प्र0 को गंगानगर आवासीय योजना में आबंटित भवन सं0–के/123 पर आरोपित ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त यह तय हुआ कि समान प्रकृति के किसी अन्य प्रकरण में ब्याज माफी की कार्यवाही का प्रेसीडेन्ट होने पर उपाध्यक्ष को ब्याज माफी के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया साथ ही इस आश्य का भी निश्चय हुआ कि इस प्रकरण को भविष्य में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

मद संख्या – 8

उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन को 132 के0वी0 क्षमता का सब–स्टेशन बनाने हेतु लोहियानगर योजना में 4.00 एकड भूमि के मूल्य में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन को 145/– रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या - 9

गंगा नगर एवं शताब्दी नगर योजनाओं में ''शैक्षिक'' भूखण्डों से लगे हुए ''पार्क'' हेतु दर्शित भूमि को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्राधिकरण की अनुमति के उपरान्त पार्क का उपयोग समय-समय पर किया जा सकता है।

मद संख्या - 10

गंगा नगर योजना के कृषकों को अतिरिक्त प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या ।

गंगानगर योजना के कृषकों को अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय आंकलन हेतु नियुक्त चार्टेड एकाउन्टेन्ट के द्वारा बोर्ड के समक्ष विस्तृत रुप से प्रस्तुतीकरण किया गया जिस पर बोर्ड के द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत ड्राफट रिर्पोट पर सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी। ड्राफट रिर्पोट में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया साथ ही इस आश्य का भी निश्चय हुआ कि किसानों से प्रतिकर के सम्बन्ध में समझौता करने हेतु शासन के आदेश सं0-1727/9-आ-3-2001-87एल0ए0/2000 दिनॉक 16-6-2001 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रस्तुत ड्राफट रिर्पोट की संस्तुतियों को किसानों के प्रतिनिधियों को अवगत कराने व वार्ता करने की अपेक्षा के साथ साथ चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रस्तुत ड्राफट रिर्पोट शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

मद संख्या - 11

अन्य बिषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अनुपूरक मद संख्या - 1

श्री लक्ष्मी अम्माल एजूकेशन ट्रस्ट को रुपये 7.50 लाख वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिया गया।

अनुपूरक मद संख्या – 2

बाहय विकास शुल्क की दरों के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर नियोजक,मेरठ विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, सहयुक्त नियोजक, मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ, अधिशासी अभियन्ता-2, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं श्री राजकुमार सिंह, सभासद/सदस्य-प्राधिकरण की समिति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का पूर्ण परीक्षण कर अपनी आख्या/संस्तुति सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

अनुपूरक मद संख्या – 3

अनाधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय के द्वारा अपेक्षा की गयी कि प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भूखण्डों एवं भवनों पर अनाधिकृत कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध में दो माह के अन्दर प्रभावी कार्यवाही सम्पन्न की जाये तथा दो माह के उपरान्त अनाधिकृत कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध हुई प्रगति की समीक्षा हेतु विशेष बैठक का आयोजन किया जाये।

अध्यक्ष महोदय तथा अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

सचिव | उपाध्यक्ष | आयुक्त/अध्यक्ष